मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 3, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक-1246) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक 1246) पर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा निराश्रितों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये और उनकी पेन्शन न बढ़ाये जाने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 74 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम पंचायत खटखरी के वार्ड 2 में लगे खड़े बिजली के खंबे पर विद्युत तार खींचे जाने,

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उमरिया जिले के संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के इंजीनियरों द्वारा आदिवासियों के दो मकान ढहाए जाने,

(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी स्थित मिशनखेड़ा में माध्यमिक शाला के पास स्वयं की भूमि न होने से शाला भवन का निर्माण न होने,

(4) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(5) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य ने देवास जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना का रख-रखाव पांच वर्ष तक ठेकेदार द्वारा निर्धारित होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत न किये जाने, तथा

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने रतलाम स्थित मिशन अस्पताल में 4 से 8 माह के बच्चों की हड्डियां मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों, समाजवादी पार्टी के डॉ. सुनीलम् एवं मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के श्री रामलखन शर्मा, सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने 33वें राष्ट्रीय खेल 2007, गुवाहाटी में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2005-2006; तथा

(ख) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे.

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य ने सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में जले एवं बिगड़े विद्युत ट्रान्सफार्मर न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. निशिथ पटेल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी जिले में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से पान की फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री ज्ञान सिंह, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	**शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007**	**निर्धारित समय**
1. (क्रमांक-4,48)	डॉ. निशिथ पटेल, श्री शरद जैन (एडव्होकेट)	00.45 मिनट
2. (क्रमांक-12)	श्री उमाशंकर गुप्ता	01.00 मिनट
3. (क्रमांक-29)	श्री गजराज सिंह सिकरवार	00.45 मिनट

श्री ज्ञान सिंह, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री ध्रुवप्रताप सिंह, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण याचिकाएं प्रस्तुत नहीं हो सकी)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

8. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्रीमती रंजना बघेल

(1.06 बजे से 2.37 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) डॉ. निशिथ पटेल

(6) श्री शंकरलाल तिवारी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(7) सुश्री उषा ठाकुर

(8) श्री प्रियव्रत सिंह

(9) श्री ओमप्रकाश पुरोहित

(10) श्री दरबूसिंह उइके

(11) श्री दिलीप सिंह परिहार

(12) श्री कपूरचंद घुवारा

(13) श्रीमती अलका जैन

(14) श्री ताराचंद बावरिया

(चर्चा अपूर्ण)

04 बजकर 31 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 4, 1928) के पूर्वाह्न 9.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.